

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी (लगाभि
गंगे)/जिलाधिकारी महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन (ग्रामीण) एवं अमृत योजना (नगरीय) के तहत जनपद के समस्त ग्रामीण परिवारों तथा नगरीय क्षेत्रों में सुचारु व नियमित जलापूर्ति में उत्पन्न हो रही बाधाओं, सीवरेज रेस्टोरेशन तथा जनसुनवाई/आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर पेयजल एवं सीवरेज आपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने के सम्बन्ध में जल निगम विभाग, नगर पालिका परिषद तथा कार्यदायी संस्थाओं के साथ महोदय की अध्यक्षता एवं माननीय अध्यक्ष (नगर पालिका परिषद) की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 19.09.2026 को समीक्षा बैठक आहूत की गयी थी।

उक्त समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन तथा अमृत योजना के तहत नियमित/निर्बाध जलापूर्ति बाधित होने वाली समस्याओं के निस्तारण कराये जाने, आगामी श्री विंध्य नवरात्र मेला से पूर्व सड़कों के रेस्टोरेशन/गड़दा-मुक्ति कराये जाने तथा जनसुनवाई/आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का प्रभावी तरीके से निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने सम्बन्धी कार्यवृत्त पत्र तैयार कर पार्श्व में प्रस्तुत है।

कृपया अवलोकनोपरान्त सहमति की दशा में पार्श्व में प्रस्तुत कार्यवृत्त पत्र पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।


(E.E. Jol Nigam
Mirzapur Gramin)


Adm (NG)
22/09/26


22/9/26

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत योजना (नगरीय)

एवं जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण परिवारों को नियमित/निर्बाध जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने, कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों की उपस्थिति में कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करने तथा जनसुनवाई/आई०जी०आर०एस० पर पेयजन एवं सीवरेज आपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मीरजापुर (श्री श्याम सुंदर केसरी) की गरिमामयी उपस्थिति एवं जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर की अध्यक्षता में **आहत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

अध्यक्षता	: जिलाधिकारी, मीरजापुर।
तिथि	: 19.09.2026
समय	: सायं : 05 बजे
स्थान/माध्यम	: कलेक्ट्रेट कक्ष, मीरजापुर।
उपस्थिति	: माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मीरजापुर अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर। अधिकांशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मीरजापुर। अधिकांशी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 3050 जल विभाग (ग्रामीण), मीरजापुर। अधिकांशी अभियन्ता, 3050 जल विभाग (नगरीय), मीरजापुर। समस्त सहायक / अवर अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 3050 जल विभाग (ग्रामीण), मीरजापुर। समस्त सहायक / अवर अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 3050 जल विभाग (नगरीय), मीरजापुर। समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर। समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, अमृत पेयजन / सीवरेज प्रोजेक्ट, मीरजापुर। शशांक शेखर पी०एम०सी० प्रतिनिधि, मीरजापुर। दीपक कुमार टी०पी०आई० उप टीम लीडर मीरजापुर।

जल जीवन मिशन (ग्रामीण क्षेत्र) की समीक्षा

बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में संचालित ग्राम समूह पेयजन योजनाओं की अद्यतन भौतिक/वित्तीय प्रगति योजनाओं के आच्छादन एवं गुणवत्ता की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मा० जिलाधिकारी महोदय द्वारा व्यक्त की गई अप्रसन्नता एवं दिए गए मुख्य निर्देश निम्नवत् हैं:

a) मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड (M/s NCC Limited):

दिनांक 15.09.2026 को अधीहस्ताक्षरी द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के दौरान दुर्लभ ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भवानीपुर में मात्र 20 मिन्ट ही जलापूर्ति संचालित होना पाई गई थी। पूर्व में निर्धारित तिथि बीत जाने के उपरांत भी धरातल पर जलापूर्ति सुचारु न होने पर कार्यदायी संस्था मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड की घोर लापरवाही एवं शिथिलता पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के दौरान संस्था के परियोजना प्रबंधक (PM) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अवशेष कार्य दिनांक 05 अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिए जाएंगे। कार्यदायी संस्था को रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रतिबद्धता के अनुसार दिनांक 05.10.2026 तक भवानीपुर सहित समस्त संबद्ध क्षेत्रों में सुचारु एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संस्था के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

b) मेसर्स जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स लिमिटेड (M/s GVP Engineers Ltd.):

ओ०एच०टी० से लगभग 22 किलोमीटर की अत्यधिक दूरी पर स्थित ग्राम हरदी कलां में 99 घरों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी धरातल पर जलापूर्ति प्रारम्भ न होने पर अधीहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर समीक्षा के दौरान संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम हरदी कलां की भौगोलिक दूरी एवं तकनीकी जटिलताओं के हटिगत उक्त ग्राम को छोड़कर संस्था के समस्त अवशेष कार्य दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिए जाएंगे; तदनुसार कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार दिनांक 30.09.2026 तक 123 ग्रामों में सुचारु एवं निर्बाध जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें तथा ग्राम हरदी कलां के तकनीकी व्यवधानों का त्वरित निस्तारण कर वहां भी शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराएं, अन्यथा संस्था के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

c) मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग (M/s Megha Engineering):

समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग के नियंत्रणाधीन गौठौर ग्राम समूह पेय जल योजना के अंतर्गत ग्राम विशेषपुर माफि व जमालपुर मू० बरईपुर तथा चौहा ग्राम समूह पेय जल योजना के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर , मझियार, बन इमलिया एवं मोहिउद्दीनपुर में धरातल पर जलापूर्ति शून्य (0.00%) पाई जाने तथा प्रगति अत्यंत शिथिल रहने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्तोष व्यक्त किया गया; तदनुसार कार्यदायी संस्था को अंतिम धेतावनी निर्गत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त 06 प्रभावित ग्रामों में समस्त अवशेष व तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए दिनांक 05 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक दशा में नियमित एवं सुचारु जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी जाएगी।

1) मेसर्स रामकी-बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर (M/s Ramky-Baba Infrastructure):

समीक्षा के दौरान दान्ती जी०ओ०बी० योजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवपुरा पटखौली, जीसरा, छापगहना, भीटी, रन्नी-पट्टी एवं सेतुहर में धरातल पर जलापूर्ति शून्य (0.00%) पाए जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहरा अस्तोष व्यक्त किया गया; जिस पर कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक (PM) द्वारा अवगत कराया गया कि पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षेत्र में कार्य के दौरान संस्था की पेयजल पाइपलाइन को 06 स्थानों पर क्षतिग्रस्त/तोड़ दिया गया है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यंत गंभीर संज्ञान लेते हुए संबंधित दोषी संस्था/व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए; साथ ही कार्यदायी संस्था मेसर्स रामकी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को दुरुस्त कराने एवं अवशेष कार्य पूर्ण करते हुए आगामी 15 दिवस (दिनांक 05 अक्टूबर 2026 तक) के भीतर समस्त 06 ग्रामों में नियमित एवं निर्बाध जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक व दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

e) मेसर्स जी०ए० इंफ्रा (M/s GA Infra):

समीक्षा के दौरान महवारी ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत ग्राम मुलहवा, छपौर खुर्द, कुसहा, कुरुहा एवं लरबक में धरातल पर जलापूर्ति शून्य (0.00%) पाई गई; जिस पर कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक (PM) द्वारा मार्ग चौड़ाकरण (Road Widening) के कारण लगभग 30 ग्रामों के प्रभावित होने का हवाला देते हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु 01 माह के अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यंत अस्तोष व्यक्त किया गया; संस्था के इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए अंतिम अल्टीमेटम दिया गया कि समस्त प्रभावित ग्रामों में पाइपलाइन मरम्मत व अवशेष कार्य पूर्ण करते हुए दिनांक 05 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक दशा में जलापूर्ति सुचारु रूप से बहाल की जाए, अन्यथा संस्था के विरुद्ध अनुबंध निरस्तीकरण एवं ब्लैकलिस्टिंग सहित कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

f) मानव संसाधन (मैनपावर) एवं ऑपरेटरों का नियोजन:

समीक्षा में पाया गया कि कतिपय स्थलों पर मात्र एक ऑपरेटर के भरोसे जलापूर्ति छोड़ दी गई है तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पर्याप्त मानव संसाधन तैनात नहीं किया गया है। समस्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से आवश्यकतानुसार पर्याप्त ऑपरेटर व मैनपावर तैनात करने हेतु निर्देशित किया गया।

g) पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही:

समस्त अवर अभियन्ता (JE) द्वारा ग्रामों को शत-प्रतिशत संतुष्ट न कराने एवं स्थलीय कमियों का ससमय निस्तारण कराने में असफल रहने वाले कुल 04 अवर अभियन्ताओं (JEs) को प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) प्रदान करने , सहायक अभियन्ता (AE) को अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वाहन में शिथिलता बरतने वाले 01 + SWSM विभाग द्वारा आवंटित कुल 09 सहायक अभियन्ताओं (AEs) को कठोर धेतावनी पत्र (Warning Letter) निर्गत करने का तथा अधिशासी अभियन्ता को योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, समयबद्ध निस्तारण एवं अधीनस्थों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण न रख पाने के कारण कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिला अधिकारी नगमा निगं एवं ग्रामीण जलापूर्ति को निर्देशित किया गया।

h) जनसुनवाई एवं आई०जी०आर०एस० (IGRS) शिकायतों का निस्तारण:

आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त 109 असंतुष्ट फीडबैक (Unsatisfied Feedback) तथा 75 शिकायतकर्ताओं से विभागीय स्तर पर कोई संवाद स्थापित न किए जाने के तथ्य पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यंत रोष व्यक्त किया गया। तदुक्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता (जल निगम ग्रामीण) को कड़े निर्देश दिए गए कि समस्त असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष/स्थलीय संवाद स्थापित कर जनशिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

अमृत योजना एवं सीवेज व्यवस्था (नगरीय क्षेत्र) की समीक्षा

नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित अमृत पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुल 35,000 एच०एस०सी० (हाउस सर्विस कनेक्शन) के तथ्य के संपेक्ष मात्र 4,600 एच०एस०सी० में ही जलापूर्ति दी जा रही है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी एवं माननीय अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद द्वारा अत्यधिक अस्तोष एवं रोष व्यक्त किया गया; तदनुसार अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका परिषद) को सख्त निर्देश दिए गए कि जब तक कार्यदायी संस्था द्वारा शत-प्रतिशत अवशेष कार्य पूर्ण कर सुचारु जलापूर्ति बहाल न कर दी जाए, तब तक किसी भी प्रकार में योजना का हैंडओवर (Handover) न लिया जाए।

साथ ही, आगामी श्री विंध्य नवरात्र मेला प्रारम्भ होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिशासी अभियन्ता (जल निगम नगरीय) को कार्य श्री विंध्य नवरात्र मेला प्रारम्भ होने के निम्नलिखित क्षेत्रों में सीवरेज व पेयजल हेतु खोदी गई समस्त सड़कों का मरम्मत व रेस्टोरेशन अतिरिक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र अहिरीरा एवं कछवां में भूमि आवंटन/उपलब्धता से सम्बन्धित आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपर जिलाधिकारी आई०जी०आर०एस० व जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त सीवरेज/पेयजल संबंधी शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं, साथ ही सम्बन्धित उत्तरदायी संस्थाओं व अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

तथा साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिला अधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति को जल निगम नगरीय के समस्त अवर अभियन्ता (JE) को प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) प्रदान करने, सहायक अभियन्ता (AE) को कठोर धैतावनी पत्र (Warning Letter) निर्गत करने का एवं अधिशासी अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

नगर पालिका परिषद (सफाई मार्ग मरम्मत एवं जनसुविधा व्यवस्था)

आगामी श्री विंध्य नवरात्र मेला-2026 के मध्य एवं सुचारु आयोजन के दृष्टिगत अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका परिषद) को कड़े निर्देश निर्गत किए जाते हैं कि सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र से जुड़ी समस्त सी०सी० सड़कों (CC Roads) की आवश्यक मरम्मत एवं पैच-वर्क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारम्भ कराएं। अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस की सुगम आवाजाही हेतु नगर की समस्त मुख्य व संपर्क सड़कों को श्री विंध्य नवरात्र मेला प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत गड़ढा-मुक्त (Pit-free) एवं मरम्मत योग्य बना दिया जाए; इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एवं सीवरेज एक अत्यंत संवेदनशील तथा जनहित से जुड़ा आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/अभियन्ता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक- 14650 / J-J-साम्राज्य / 276
—000—

दिनांक: 22-03-026

प्रति- निम्नलिखित को सूचनायें प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), लखनऊ।
 2. आयुक्त, विध्याचल मंडल, मीरजापुर।
 3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), लखनऊ।
- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
 2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), मीरजापुर।
 3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), मीरजापुर।
 4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
 5. सहायक सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), मीरजापुर।
 6. टीम लीडर, पीएमसी (PMC) / टीपीआई (TPI), मीरजापुर।
 7. समस्त परियोजना प्रबंधक, कार्यदायी संस्थाएं (जल जीवन मिशन एवं अमृत योजना), मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।